

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 419 सन 2018

अनवान :-

1. जसवीरसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर।

बनाम

वादी

1. मलकीतसिंह पुत्र बगासिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर
2. पालसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर।
3. बलजिन्द कौर 4 हरविन्दकौर 5 सुखवीन्दकौर 5 कुलविन्द कौर पुत्रीया मलकीतसिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :-

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा 22 जेएसएन के खाता संख्या 75/46 के प०न० 321/394(16) के किला न० 9 ता 13, 20 ता 22, /प्रत्येक 0.2530हैक्, प०न० 321/395(21) किला न० 1/0.228, 2/0.228, प०न० 320/396(31) किला न० 2 ता 4/0.759हैक्, 6/1 की 0.0130, 7/1 की 0.0640हैक् 8/1 की 0.1690हैक्, 9/0.2530, 11 ता 12/प्रत्येक 0.2530हैक्, 13/2 की 0.1260हैक् 18/2 की 0.1270हैक्, 19 ता 24/0.2530, 25/0.215हैक् मु०न० 0 मु०न० 62/6 के किला न० 0/2 की 0.0380हैक् गै०मु० रास्ता कुल 7.300हैक् भूमि जो पूर्व में वादी के दादा बगासिंह खातेदार काश्तकार था वादी के दादा के फोट होने पर वाद भूमि विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। उभयपक्षों को सुना गया

zeidi

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पत्ति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने वाद भूमि में अपने हक के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 75/46 की कुल 7,300 हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- पांच हजार रुपये का स्टाम्प तकमीन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.9.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

S. S. S. S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)